नोट नं० 585/18 (4476)

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र0 II/निगरानी/मुरैना/भू0रा0/2018/0585

श्री श्रीकृष्ण शर्मा अभिभाषक द्वारा आज दि0 17/1/18 को प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 24-1-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट 17-1-18
राजस्व मण्डल, म.प्र. ग्वालियर

सुधाकर शर्मा पुत्र बृजमोहन शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम नन्दपुरा तहसील जौरा जिला मुरैना हाल निवासी कॉच मिल के पास ग्वालियर तह0 व जिला ग्वालियर

..............................आवेदक

बनाम

1–औमवीर सिंह पुत्र फूल सिंह

2–नरेन्द्र सिंह पुत्र भूरी सिंह

3–सुरेन्द्र सिंह पुत्र भूरी सिंह

4–शिवराज सिंह पुत्र भूरी सिंह

नि0 ग्राम नन्दपुरा तह0 जौरा जिला मुरैना

5–रघुनन्दन सिंह पुत्र गोपालसिंह

6–राघवेन्द्र सिंह पुत्र गोपालसिंह

7–श्रीकृष्ण सिंह पुत्र गोपाल सिंह

निवासी अन्तोबाई गली गणेश पुरा तहसील व जिला मुरैना

............................अनावेदक

निगरानी विरूद्व आदेश दिनांक 01/12/2017 न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय जौरा जिला मुरैना के प्र0क्र0 06/17–18 अपील/निगरानी अन्तर्गत धारा 50 मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959

श्रीमान जी,

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में निम्नलिखित प्रस्तुत है –

1– यह कि ग्राम नन्दपुरा तह0 जौरा जिला मुरैना में स्थित कृषि भूमि सर्वे कमांक 236, 225 पटवारी कागजात में शासकीय अंकित थी।

2– यह कि विवादित भूमि का पट्टा/व्यवस्थापन अनावेदक क0 5 लगायत 7 द्वारा

XXIX(a)-BR(H)-11

(476)

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - दो/निगरानी/मुरैना/भू.रा./2018/0585

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री कृष्ण शर्मा उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अत: यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 24-5-19 को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। **प्रशासकीय सदस्य**	